

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक
प्रकरण संख्या 43 / 2020

पवन कुमार सेनी मेहन्दीबाग शिव मन्दिर के पास टोंक जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 26-11-2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 22-9-2020 को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी

1-श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय के पत्र क्रमांक 1322 दिनांक 7-2-2020 पर की गई जाँच एवं आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ/दस्तावेज प्रमाणित कर उपलब्ध करावें।

2-उक्त पत्र क्रमांक 1322 दिनांक 7-2-2020 पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक के पत्रांक 975 दिनांक 24-2-2020 द्वारा श्रीमान आयुक्त महोदय टोंक को प्रेषित पत्र पर श्रीमान आयुक्त महोदय टोंक द्वारा की गई जाँच एवं आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावलियाँ/दस्तावेज प्रमाणित कर उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध में जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 6253 दिनांक 26-11-2020 से प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना पत्र क्रमांक 5571 दिनांक 8-10-2020 से भिजवाई जा चुकी है। अपीलान्त नगर परिषद टोंक द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना आयुक्त नगरपरिषद टोंक से प्राप्त करें। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जवाब की प्रति भिजवाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को कार्यालय की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

